फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – जहाजपुर(भीलवाड़ा)

दुर्गेश पिता पेमाराम मीणा नि. रावतखेड़ा

बनाम

हीरा पिता सूरजमल मीणा नि. भगतो की झूपड़िया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 620 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
07.6.23	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जाँच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम रावतखेड़ा प. ह. रावतखेड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1054/108 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ. न. 382/2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ. न. 684/1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, आ. न. 7/13 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र सलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि भूमि **ग्राम रावतखेड़ा प. ह. रावतखेड़ा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1054/108 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ. न. 382/2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ. न. 684/1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, आ. न. 7/13 रकबा 0.4856 हैक्टेयर** की उभय पक्षो की उपस्थिति मे पत्थरगढ़ी करने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष मे जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 07.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 620 / 2023 दिनांक :– 01.06.2023

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स.   / 23 दुर्गेश पिता पेमाराम मीणा नि. रावतखेडा बनाम हीरा, रणजीत पिता सूरजमल मीणा, ईश्वर, मिश्रीलाल, छोटू पिता गोदू मीणा, रामलाल पिता खाना मीणा, गोपाल पिता खाना मीणा, रामप्रसाद पिता खाना मीणा नि. रावतखेडा वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में भूमि ग्राम रावतखेडा प. ह. रावतखेडा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1054 / 108 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आ. न. 382 / 2 रकबा 0.1052 हैक्टेयर आ. न. 684 / 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, आ. न. 7 / 13 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि की उभय पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner